उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्याः– 828 / ।।(2)–2018–06(65) / 2016
देहरादूनः दिनांक, 11 मई, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार से लक्सर तक 50 किमी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 381 / ।।–2017–06(65) / 2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची–01 एवं 02 में वर्णित क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थातः–

क्र0 सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध / बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण / अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 828 / ।।(2)–2018–06(65) / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व / आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल।
3. जिलाधिकारी / बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग ,हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक सॉफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the 'Constitution of India', The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notifiction no. 828 dated 11.05.2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Irrigation Section-02
No. 828 /II(2)/2018-06(65)/2016
Dehradun: Dated 11 May, 2018

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013) the Governor is pleased to accord sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 01 and 02 of the previous notification no. 381/II-2017-06(65)/2016, dated 28.02.2017 for reach up to 50 Km from Haridwar to Laksar in river Ganga of District Haridwar, namely-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Construction/Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting N.O.C. from Uttarakhand Peyjal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and soild waste created by the said activities in this area. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35% floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/N.O.C. certifecate shall be required necessary from the Uttarakhand Peyjal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary.

No. 828 /II(2)/2018-06(65)/2016

Copy to

1. Principal Secretary/Secretary, Revenue/Housing Government of Uttarakhand.
2. Commissioner, Garhwal.
3. D.M. Haridwar/Flood Plain Zoning Authority, Haridwar.
4. Engineer in Chief, Irrigation Department. Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Engineer, Irrigation Department, Garhwal.
6. S. E./Ex. Engineer, Irrigation Department, Haridwar.
7. Director, NIC, Uttarakhand Sectariate, Dehradun with the request that please upload soft copy of this notification on NIC Haridwar site.
8. Joint Director, Government printing Press Roorkee with the request that please publish 200 copies of this notification in Genreal gazette and send it to Government.
9. Office Copy.

ह० पालीवाल

(Devendra Palival)
Additional Secretary.